न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/36/2019	2019/00218	01.10.2019	26.04.2022

1. रोशनलाल पुत्र श्री गिरधारीलाल।
2. जयसिंह पुत्र श्री रामजीलाल।
3. वीरसिंह पुत्र श्री सूरजभान।
4. राजेश पुत्र श्री प्रभुदयाल।
5. जयदयाल पुत्र श्री प्रभातीलाल।
6. रामस्वरूप पुत्र श्री प्रभुसिंह।
7. लीलाराम पुत्र श्री प्रेमचन्द।
8. दयानन्द पुत्र श्री रामजीलाल।
9. हरदयाल पुत्र श्री सेढूराम।
10. सुरेशचन्द पुत्र श्री दाताराम।
11. मेहरचन्द पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति यादव निवासीयान ग्राम नंगलारूंद तहसील बहरोड़, जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्टस

बनाम

1. श्रीमति ओमवती देवी पत्नि सत्यनारायण यादव।
2. श्रीमति कैलाश देवी पत्नि योगेन्द्र सिंह, जाति यादव निवासीयान ग्राम हुडियाखुर्द तहसील बहरोड़, जिला अलवर राजस्थान।

रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बहरोड़ का निर्णय दिनांक 25.07.2011 नामान्तकरण संख्या 453 ग्राम नगंलारूंद तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री नरेश चौधरी **–वकील अपीलान्टस**

02.श्री अशोक कुमार मुद्गल **–वकील रैस्पॉडेन्टस**

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 25.07.2011 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 453 ग्राम नंगलारूंद तहसील बहरोड़ जिला अलवर जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 28.03.2012 को हुई जब स्वंय रैस्पोडेन्ट ने गांव में जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश से उनके नाम इंतकाल चढ चुका है। अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील पेश की गई। फिर भी धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थनापत्र पृथक से पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ध्यान से विचार नहीं किया गया जबकि रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 18.09.2006 से स्पष्ट है कि खसरा नं0 316 रकबा 0.01 गैरमुमकिन चाह है, जो खुर्द–बुर्द है तथा खसरा नं0 317

जिला कलक्टर, अलवर

रकबा 2.68 पढत पढा है। जोहडनुमा बना हुआ है जिस पर किसी भी पक्षकार का कब्जा नही है इसका उपयोग होलिका दहन, मरघट व पशुओं को पानी पिलाने के उपयोग में लेते है। नगंलारूंद की आबादी का वर्षा का पानी भी खसरा न0 317 में आता है। उक्त पानी की निकासी की कोई जगह नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का उक्त आराजी के किसी भी भाग पर रैस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है, ना ही उक्त आराजी काश्त के रूप में कभी काम में लाई गई, बल्कि उक्त आरजी सदैव से ग्राम वासियान की सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में काम आ रही है। जिसमें मवेशियान को पानी पिलाने की जोहड़ मरघट व होलिका दहन आदि के सार्वजनिक उपयोग उपभोग हो रहा है। जिस कारण कानूनन उक्त आराजी का इंतकाल, खातेदारी रैस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक नही की जा सकती। आराजी मुतनाजा के गत खसरा नं0 156 था जो राज्य सरकार द्वारा मु0 कशमीरा बेवा रोहिताश को सैनीक की विधवा होने के कारण अलॉट किया गया था किन्तु चुंकि उपरोक्त आराजी सार्वजनिक हित में उपयोग व उपभोग में काम आ रही थी, जिस कारण तहसीलदार बहरोड़ में आराजी मुतनाजा के आवंटन को निरस्त किये जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अलवर को पेश किया था, जिस पर जिला कलक्टर ने अभियोज संख्या 15/214 सन 79 के तहत अपने आदेश दिनांक 05.03.1983 से उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया किन्तु उसके बाद भी बदोंबस्त में उक्त कशमीरा के नाम का इन्द्राज कर दिया गया। कश्मीरा ने उक्त आराजी को श्रीमति रूपकान्ता पत्नि सोमदत्त को विक्रय कर दिया रूपकान्ता द्वारा उक्त आराजी को गलत तौर पर रैस्पोडेन्ट को विक्रय कर दिया जो कानूनन गलत है। उक्त आराजी से संबंधित एक वाद अपीलान्टस की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के यहां विचाराधीन है। उक्त वाद के विचारण के दौरान ही रैस्पोडेन्ट के द्वारा उक्त आराजी को खरीद लिया जो कानूनन बातिल व बेअसर है। इस प्रकार उक्त आराजी कभी भी काबिल काश्त नहीं रही बल्कि पढत जमीन के रूप में है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। आराजी के कुछ भाग में ग्राम वासियान के सभी जाति के लोगों के मुर्दे जलाये, दफनाये जाते है। इस प्रकार उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति विशेष को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। रैस्पोडेन्टस उक्त इंतकाल की आड में जबरन कब्जा करने व उक्त आराजी को अन्य लोगों को मुंतकिल करने की कोशिश में है। यदि रैस्पोडेन्ट ने ऐसा कर दिया तो अपीलान्ट को नापूर्ति वाला नुकसान होगा।

अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बहरोड, जिला अलवर का आदेश दिनांक 25.07.2011 निरस्त फरमाई जाकर विवादित इंतकाल संख्या 453 वाके ग्राम नंगलारूंद तहसील बहरोड़ निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील रैस्पो0 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पाक युद्ध के दौरान शहीद की विधवा कश्मीरी को 25 बीघा जमीन सन 1973 में अलोट की गयी थी। जिसमें से कश्मीरी ने 11 बीघा जमीन का बेचान रूपकान्ता को कर दिया। रूपकान्ता द्वारा उक्त आराजी को बेचान ओमवती को कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील लगभग 8 माह बाद पेश की गयी है। जो खारिज योग्य है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। उसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा प्रा0पत्र 96 सीपीसी पेश नहीं किया गया है। जिससे भी अपील चलने योग्य नहीं है। बेचानकर्ता रूपकान्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवंटन निरस्त करने की जिला कलक्टर महोदय की आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गयी। कोई रिकॉर्ड ऐसा पेश नहीं किया गया है, जिससे साबित हो कि सरकार से उक्त अलोटमेंट निरस्त करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ हो। उक्त आवंटन खारिज नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें। वकील रेस्पो0 द्वारा आरआरडी 1993 पेज 232 पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय–पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2011 के विरूद्ध दिनांक 10.04.2012 को लगभग 8 माह बाद पेश की गयी है। यद्यपि विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है। फिर भी अपीलांट द्वारा अपील के साथ पेश शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में मुख्य तर्क यह उठाया है कि शहीद की विधवा को अलोट की गयी आराजी का जिला कलक्टर द्वारा अलोटमेंट निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। जो फोटो प्रति है प्रमाणित प्रति नहीं है। जिसे स्वीकार नहीं किया जो

जिला कलेक्टर, अलवर

सकता। अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने पर भी न्यायालय हाजा में पेश की गयी है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने की स्थिति में प्रा0पत्र 96 सीपीसी पेश किया जाकर अपील की अनुमति चाही जानी चाहिए थी। जो अपीलांट द्वारा पेश नहीं किया गया है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है। अपीलान्ट प्रार्थना पत्र 14(4) भू–राजस्व अधिनियम के तहत पृथक से प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद मकाते)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)